SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

जनजातीय पारंपरिक सांस्कृतिक संस्थाओं का इतिहास और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता – युवागृह के संदर्भ में

क्षमा चंद्राकर
अमलेश्वर, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
क्षमा चंद्राकर
E-mail : kshama2912@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 16/08/2025
Revised on : 14/10/2025
Accepted on : 23/10/2025
Overall Similarity : 00% on 15/10/2025

शोध सार

भारत सदैव सांस्कृतिक रूप से संपन्न देश रहा है। यहां रहने वाले लोग विभिन्न धर्मों, भाषा, खान–पान, वेशभूषा आदि का अनुसरण करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में तरह–तरह की जातियों के लोग निवास करते हैं। भारत के कुछ राज्यों में जनजातियों का बाहुल्य है यह जनजातीय अपनी संस्कृति, कला व जीवन शैली में विविधता व विशेषता के कारण सदैव आकर्षण का केंद्र रही है। जनजातियों को भौगोलिक,भाषाई, प्रजाति, अर्थव्यवस्था व जनसंख्या आदि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। संख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ी जनजाति ''गोड़'' तथा सबसे छोटी जनजाति ''ग्रेट अंडमानी'' को माना जाता है। जनजातियों की पारंपरिक संस्कृति में उनकी कला, संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, मड़ई व अन्य संस्थाएं सम्मिलित है जो उन्हें सामान्य से विशेष बनती है। सांस्कृतिक संस्थाओं की बात की जाए तो उनका युवागृह, विवाह पद्धति आदि पर सामान्य जनों की उत्सुकता बनी रहती है। हालांकि समय के साथ–साथ इन संस्थानों में भी परिवर्तन आता जा रहा है। मुख्यतः भारतीय जनजातियों में नई पीढ़ी को उनकी संस्कृति से परिचय कराने एवं जीवन में उपयोगी बातों के संबंध में शिक्षा देने हेतु युवागृह या युवा संगठन पाए जाते हैं। यह संगठन विश्व की बहुत सी जनजातियों में पाए जाते हैं, इस अर्थ में ही युवागृह को एक संस्था माना जाता है। अलग–अलग जनजातियों में युवागृह को अलग–अलग नाम से संबोधित किया जाता है, जैसे ओरांव या उरांव जनजाति में धूमकुरिया या जोनकरपा, गोड़ जनजाति में घोटुल, भुइयां जनजाति में धांगड बासा आदि। कुछ जनजातियों में युवागृह का प्रचलन पूर्व की तरह ही बना हुआ है तो वहीं कुछ जनजातियों में वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है। विलुप्तता के कारणों में नगरीय सभ्यता के बढ़ते चलन,

बाह्य हस्तक्षेप और पारिवारिक नियंत्रण में कमी को देखा जाता है। वर्तमान में भले ही उनकी प्रासंगिकता में कमी आई हो फिर भी जनजातियों के संबंध में जब कभी भी बात होती है तो उनके युवागृह पर चर्चा अवश्य की जाती है। यही कारण है कि आज भी इस विषय पर शोध व अध्ययन की प्रासंगिकता बनी हुई है।

मुख्य शब्द

सांस्कृतिक संस्था, धूमकुरिया, घोटूल, धांगडबासा, युवागृह, जनजातीय.

प्रस्तावना

जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति उन्हें अलग बनाती है उनकी संस्कृति को जानने व समझने को अन्य लोग आतुर रहते हैं। उनकी इसी संस्कृति का अहम् भाग है युवागृह, जो भारत के जनजातियों के अलावा विश्व की अनेक जनजातियों में पाया जाता है। मुख्यतः भारतीय जनजातियों में नई पीढ़ी को उनकी संस्कृति से एकासार कराने एवं जीवन में उपयोगी बातों के संबंध में शिक्षा देने हेतु युवागृह, युवा संगठन या कमारगृह पाए जाते हैं। विद्वानों में इस बारे में मतभेद है कि युवागृह जनजातीय सामाजिक जीवन का एक अटूट अंग है अथवा नहीं, किसी न किसी रूप में प्रत्येक जनजाति की एक सर्वव्यापी संस्था है। जबकि अनेक विद्वान यह मानते हैं कि यह संस्था बहुत कम जनजातियों में हैं तथा आज इसके उदाहरण बहुत कम रह गए हैं। भारतीय जनजातियों में इस संस्था का बहुत विकसित रूप दिखाई देता है परंतु बाहरी समूहों के शोषण तथा जनजाति के अंदर ही कुछ लोगों की दूषित मनोवृत्तियों के कारण जनजातीय सामाजिक संगठन से संबंधित यह मुख्य संस्था नष्ट होती जा रही है, इस दृष्टिकोण से यह अत्यंत आवश्यक है कि जनजातीय युवागृहों की प्रकृति, कार्यप्रणाली, उत्पत्ति व महत्व पर विचार किया जाए व इनके संरक्षण की संभावनाओं पर प्रकाश डाला जाए।

युवागृह का आशय

युवागृह जनजातीय समाज की ऐसी संस्था होती है जहां जनजातीय लोग संस्कृति व शिक्षा ग्रहण करते हैं। गांव के बाहर झोपड़ी जैसा बना होता है जहां जनजातीय लोग शाम को एकत्रित होते है तथा तरह–तरह के क्रियाकलाप करते है। इन क्रियाकलापों में यौन शिक्षा, मनोरंजन, युद्ध, शिकार, कृषि संबंधी जानकारी, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक क्रियाओं का प्रशिक्षण आदि दिया जाता है।

युवागृह 3 प्रकार के होते है:

1. समलिंगीय युवागृह।
2. संयुक्त युवागृह।
3. तृतीय युवागृह।

समलिंगीय युवागृह में लड़को तथा लड़कियों के लिए अलग–अलग युवागृह होते है। उदाहरण– उरांव जनजाति, संयुक्त युवागृह में लड़के–लड़कियां एक साथ रहते है। उदाहरण– गोड़, मुरिया, भोटिया जनजाति, तृतीय प्रकार के युवागृहों में सदस्यता दोनों प्रकार के युवा ग्रहण करते हैं लेकिन युवतियां नृत्य–गायन तथा अन्य गतिविधियों के बाद अपने–अपने घरों को रात में वापस आ जाती है।

छत्तीसगढ़ की जनजातियों के युवागृहों के नाम

क्रमांक	जनजाति	युवागृह
1	गोंड, मुरिया, माड़िया	घोटुल
2	उरांव	धूमकुरिया
3	भाड़िया	रंगभंग
4	बिरहोर	गीतुओना
5	भूइयां	धांगड बासा
6	परजा	धागबाक्सर
7	कोंध	धांगड़ा घर

युवागृहों की उत्पत्ति

युवागृहों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों के अलग–अलग कथन है परंतु यह सर्वविदित सत्य है कि किसी भी समाज में किसी भी संस्था का अस्तित्व उसकी उपयोगिता और महत्व के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि युवागृहों की उत्पत्ति बहुत से कारणों से संबंधित है न कि सिर्फ एक कारण से। विद्वानों के अनुसार युवागृहों की उत्पत्ति निम्न कारणों से हुईः

1. श्री मजूमदार के अनुसार इस प्रथा का जन्म वन के हिंसक जंतुओं से समाज के अशक्त व्यक्तियों की रक्षा करने हेतु हुआ।
2. जे. शेक्सपियर का कहना है कि अनक्षर आदिवासियों में स्त्री–पुरुष संभोग करने के लिए एकांत चाहते थे, अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु युवागृहों की रचना की गई होगी।
3. ग्रिगसन के अनुसार जनजातियों के घरों में स्थान की कमी रहती है तथा सभी माता–पिता चाहते हैं कि कम आयु के बच्चों को स्त्री–पुरुष के यौनिक संबंधों को देखने से अलग रखा जाए। प्रायः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गांव से बाहर युवागृहों की स्थापना की गई जिससे सभी जनजातीय परिवारों के बच्चे रात्रि में वहां रुक सके।
4. हडसन का यह कहना है कि जनजातीय युवागृह पुराने समय में पाए जाने वाले सामुदायिक निवास स्थलों के अवशेष है। पहले एक समूह के सभी सदस्य एक ही घर में रहते थे तथा सामूहिक रूप से अपनी अलग–अलग आवश्यकताओं को पूरा करते थे, बाद में जब समूह बड़े हो गए तथा गांवों का विकास हुआ तब लोगों ने सोचा होगा कि प्रत्येक गांव में ऐसा सामुदायिक स्थान होना चाहिए जहां सभी परिवारों के कुछ सदस्य साथ–साथ निवास करें। इस प्रकार सामुदायिक जीवन में सहयोग बढ़ाने के लिए ही युवागृहों की स्थापना की गई।
5. उरांव जनजाति के युवागृहों का अध्ययन करने के बाद युवागृहों की उत्पत्ति का मुख्य कारण गांव के युवा सदस्यों को एक स्थान पर रखकर उन्हें आर्थिक तथा सामाजिक प्रशिक्षण देना। यही कारण है कि युवागृह के बुजुर्ग अपने कनिष्ठ सदस्यों को जंगल से उपयोगी खाद्य पदार्थ एकत्रित करना सिखाते हैं, फसल बोने और काटने की शिक्षा देते हैं, शिकार से संबंधित जादुई क्रिया बताते हैं व शिकार के गूढ़ रहस्यों को बताते हैं। कनिष्ठ सदस्यों को अपनी क्षमता तथा व्यक्तित्व विकसित करने का रहस्य बताते हैं, उन्हें पारंपरिक जनजाति तथा गायन की शिक्षा देते हैं। उन्हें पारंपरिक जनजातीय नृत्य तथा गायन की शिक्षा देते हैं तथा उनकी कमियों से उन्हें अवगत कराते हैं। अलग–अलग अवसरों पर युवागृह के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से जनजातीय समुदायों की सहायता करना भी इसी तथ्य को पुष्ट करता है।
6. विक्सन के अनुसार युवागृहों की स्थापना का एक अन्य उद्देश्य आखेटक तथा खाद्य संग्रहक जनजातियों में स्त्रियों तथा बच्चों को बाहरी पशुओं तथा जंगली जानवरों से रक्षा करना रहा होगा। इन जनजातियों में पुरुष जब आखेट तथा खाद्य पदार्थों के संग्रह के लिए गांव से दूर चले जाते होंगे तब स्त्रियों और बच्चों की सुरक्षा एक जटिल समस्या रहती होगी इसका समाधान गांव की सीमा पर युवागृहों की स्थापना कर किया गया होगा। शायद यही कारण रहा होगा कि युवागृहों में योग्य शिकारियों को बहुत महत्व दिया जाता था तथा रात्रि के बहुत समय तक गांव के सभी लड़के–लड़कियां आग जलाकर इन युवागृहों में हंसी मजाक तथा दूसरे तरीके द्वारा जागते रहने का प्रयत्न करते हैं।

कुछ विद्वानों का यह कहना है कि निकट संबंधियों के बीच यौन संबंधों की संभावना को कम करने के लिए युवागृह स्थापित किए गए जनजातियों में जहां एक ओर यौन संबंधों का निषेध बाहरी समाजों के समान अधिक मजबूत नहीं है, वहीं दूसरी ओर युवा काल में यौनिक तनावों को दूर करने की भी समस्या आ जाती है अतः इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए जनजातियों ने एक ऐसी संस्था को स्थापित करना लाभप्रद समझा जहां

लड़की–लड़कियां अपने रक्त संबंधियों से दूर रहते हुए भी सांस्कृतिक तथा यौनिक शिक्षा ले सके। ऐसा पाया गया है कि जो जनजातियां आखेट तथा खाद्य संग्रहण द्वारा अपना जीवन चलाते है उनमें युवागृहों का प्रचलन सबसे ज्यादा है। इससे ऐसा समझ आता है कि ऐसी जनजातियों में मकानों की कमी तथा विश्राम गृहों की आवश्यकता के कारण युवागृहों की स्थापना की गई होगी।

अनेक जनजातियों में स्त्री तथा पुरुष के लिए अलग–अलग युवागृहों की व्यवस्था है। ऐसे युवागृहों की स्थापना के कारण प्रारंभ में कुछ विशेष अवसरों पर स्त्रियों तथा पुरुषों को अलग रहने की सुविधा प्रदान करना रहा होगा, उदाहरण के लिए मुरिया जनजाति में स्त्री के लिए आवश्यक है कि वह संतान के जन्म के बाद तब तक अपने पति से अलग रहे जब तक बच्चे का नाभिसूत्र सूख कर गिर ना जाए। इसी प्रकार बहुत सी जनजातियों में खेती के व्यस्त दिनों में पुरुष को अपनी पत्नी से अलग रहना आवश्यक समझा जाता है यह पृथकता घर में ना होने के कारण स्त्रियों तथा पुरुषों को अलग–अलग आवास देने के उद्देश्य से युवागृहों को स्थापित किया गया होगा, बाद में इन युवागृहों को केवल अविवाहित लड़के–लड़कियों के लिए उपयुक्त समझा जाने लगा होगा।

युवागृहों की उत्पत्ति का एक कारण जनजाति समाजों में निकटाभिगमन निषेध (Incest Taboo) को बनाए रखना एवं सदस्यों को जिनमें यौन संबंध सही नहीं माना जाता है, परिवार से रात्रि में दूर रखने के लिए युवागृहों में भेज दिया जाता है।

युवागृहों के कार्य

जनजाति समाजों में युवागृहों के कार्य अलग–अलग हैं:

1. **यौन प्रशिक्षण:** गांव की बड़ी अनुभवी लड़कियां लड़कों को यौन शिक्षा देती हैं। युवागृह के अंदर यौन वर्जित है, किंतु कई जनजातियों में यह पाया जाता है युवागृह में बड़ी लड़कियां जो लड़कों को यौन शिक्षा देती है वे गर्भवती नहीं होती। अतः उन्हें इस बात का ज्ञान रहता है कि किस समय यौन करने से गर्भ धारण नहीं होता।
2. **मनोरंजन:** युवागृह मनोरंजन के स्थान भी होते हैं, जहां शाम होते ही सारे सदस्य एकत्रित होकर नृत्य संगीत किस्से कहानियां तथा गपशप कर अपना मनोरंजन करते हैं जिससे युवक–युवतियों के जीवन में नीरसता तथा निराशा के भाव उत्पन्न नहीं हो पाते।
3. **परोपकार:** समाज सेवा के बहुत से कार्य लड़के–लड़कियां जो यहां से शिक्षित हुए हैं करते हैं, जैसे यदि गांव में किसी के यहां शादी हो, किसी का मकान बन रहा हो, किसी के यहां फसल काटनी हो तब यही लड़के–लड़कियां कार्य करते हैं।
4. **नये जीवन का उद्भव:** युवागृहों की रसिक संध्याएं, आंतरिक रूप से कण्ठ यौवन में नवजीवन को भरती है। होने वाली कथाएं मनोरंजन व नवजीवन का संचार करने का माध्यम है।
5. **एकता का उदय:** युवागृह के सभी सदस्य आपस में एकत्रित होकर कार्य करते हैं जिससे उनमें एकता का उद्भव होता है। इससे उनमें पारस्परिक स्नेह, सद्भावना, एकता तथा सामाजिकता बढ़ती है।
6. **निद्रा:** रात्रि में युवक युवतियां इन शयन कक्षों में सोते हैं। स्त्री–पुरुष दोनों एक ही कक्ष में साथ ही रात्रि व्यतीत करते हैं तथा स्त्रियां उनका देखभाल करती है। ओरांव युवकों को गांव के बाहर स्थित धूमकुरिया में ही रात व्यतीत करनी पड़ती है। इस जनजाति में भी अविवाहित लोगों के लिए अलग गृह होते हैं।
7. **आक्रमणों से रक्षा:** युवागृह जंगली जानवरों एवं शत्रु जनजातियों के आक्रमणों से समूह को आश्रय प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आखेटक जनजातियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से युवागृह एक प्रकार के बहुमूल्य क्षेत्र है।
8. **संस्कृति की शिक्षा:** युवागृह में पहले से शिक्षित पुरुष व बड़े नए सदस्यों को संस्कृति, परंपरा, विश्वासों और धर्म की शिक्षा कराते हैं, अतः यह संस्कृति प्रदान करने का केंद्र है।
9. **योग्य जीवनसाथी का चयन:** युवागृह में उपस्थित लड़के–लड़कियां अपने अनुसार जीवनसाथी का चुनाव करते हैं।

उपयुक्त तथ्यों पर विचार करने पर यह स्पष्ट नजर आता है कि युवागृह में अनेक महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित होते हैं। मुरिया जनजाति में पिता अपने बेटे को घोटुल पहुंचाता है। बच्चे वहां अपने वरिष्ठ साथियों के अनुभव से बहुत कुछ अनुभव करते हैं, अतः लड़के तथा लड़कियों का समाजीकरण युवागृह पर निर्भर करता है। माता–पिता तथा संतान संबंधों के बदले लड़के या लड़कियां युवागृह के मुखिया अर्थात् सरदार (लड़कों के युवागृह का प्रधान) तथा बीलोसा (लड़कियों के युवागृह की प्रधान) से निकट संबंध महसूस करते हैं। युवागृह जनजाति युवाओं को विवाह से पहले यौन संबंध के लिए सामाजिक रूप से सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। यह सदस्यों को अपना जीवन साथी चुनने का समय देता है। मुरिया जनजाति में युवागृह के कारण जनजातियों में यौन संबंध के प्रति सरल निर्दोष तथा अच्छा व्यवहार बना रहता है।

युवागृह की कार्यप्रणाली

युवागृह के सभी सदस्य शाम के पश्चात् अपने घर से भोजन करने के बाद एकत्रित होते हैं। रात्रि आरंभ होते ही सबसे पहले जनजाति संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले गीत और नृत्य होने लगते हैं। इन नृत्यों में जंगली जानवरों से रक्षा करने, युद्ध, जनजातीय महापुरुषों तथा अपने पुरुषों के शान का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। सभी सदस्य अक्सर आग के चारों ओर बैठकर किस्से–कहानी कहते सुनते हैं तथा अपने अपने–अपने अनुभव एक दूसरे से बांटते हैं। आवश्यकता पड़ने पर युवागृह के सभी सदस्य अपने युवागृह के प्रधान के नेतृत्व में जनजातीय समुदाय की सहायता भी करते हैं, जैसे गांव में किसी के यहां विवाह, गृह निर्माण, कृषि संबंधी कार्य, आखेट या आकस्मिक विपत्ति के समय युवागृह के सदस्य एक साथ अपनी सेवाएं देते हैं।

युवागृहों के कार्यकलाप निर्धारित नियमों के अनुसार संपादित किए जाते हैं। युवागृह के प्रशासन के लिए चयनित पदाधिकारी होते हैं जिन का चुनाव सदस्य द्वारा होता है। छोटे सदस्य बड़े सदस्यों की आज्ञा का पालन करते हैं तथा उनके अनुभव से अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। युवागृहों में सदस्यों को काफी सीमा तक छूट मिली रहती है किंतु यह कहना उचित नहीं है कि सभी युवागृहों में यौनिक संबंधों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता युवागृह यौनिक प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र है तथा नृत्य और कहानियों द्वारा भी यहां के बुजुर्ग सदस्य कनिष्ठ सदस्यों को यौन संबंधों की बारीकियां समझाते हैं। मुरिया जनजाति का तो यहां तक विश्वास है कि युवागृहों में यौन संबंध काम दृष्टि को स्पष्ट नहीं करता बल्कि यह सदस्यों को गृहस्थ जीवन में जाने से पहले यौन शिक्षा देने का एक माध्यम है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि युवागृह में यौन शिक्षा देने के समय मुरिया लड़कियां गर्भवती नहीं होती हैं। मुरिया जनजाति का ऐसा मानना है कि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी जनजाति में देवता लिंगो इस स्थिति में उनकी रक्षा करता है क्योंकि युवागृहों में किसी लड़की का गर्भवती होना स्वयं शलिंगोश देवता का अपमान है। इसके विपरीत प्रसिद्ध विद्वान वेरियर एल्विन ने जिन युवागृहों की 200 लड़कियों का सर्वेक्षण किया उनमें से 80 लड़कियां घोटुल में ही गर्भवती हो गई थी। दूसरी तरफ भोटिया जनजाति में रंग–बंग से संबंधित सभी क्रियाएं स्वतंत्र यौन संबंध तथा जीवन साथी के चुनने से ही संबंधित है। इसके लिए स्त्रियां सामूहिक रूप से दूसरे गांव के लड़कों को बुलाती है और उनके भोजन से लेकर सोने तक का सारा प्रबंध स्वयं करती है किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि जनजातियों में यौन साम्यवाद की प्रधानता है बल्कि वास्तविकता यह है कि युवागृह के द्वारा जनजातियों में यौनिक स्वतंत्रता इसलिए है ताकि जहां एक ओर इनमें यौन के आधार पर संघर्ष बढ़े तथा दूसरी ओर छोटे सदस्यों को यौनिक शिक्षा दी जा सके।

छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध युवागृह– घोटुल

घोटुल छत्तीसगढ़ के गोंड, मुरिया, माड़िया जनजाति की महत्वपूर्ण संस्था है। घोटुल में युवक एवं युवतियां आमोद–प्रमोद के साथ सामाजिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। कुछ विद्वानों ने इसे मात्र यौन अनुभव प्राप्त करने की संस्था मान लिया जो कि बिल्कुल गलत है। वास्तव में जब बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षण एवं सामाजिक संस्थाएं नहीं थी तब यही घोटुल आमोद–प्रमोद के साथ सामाजिक सीख भी देते थे। घोटुल में आने वाले युवक–युवतियों को अपना जीवन साथी चुनने की छूट भी होती है एवं इसे सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त थी। इसको स्वच्छंद यौन आचरण कदापि नहीं कहा जा.सकता।

घोटुल गांव के किनारे बनी एक मिट्टी की झोपड़ी होती है। कई बार घोटुल में दीवारों की जगह खुला मंडप होता है घोटुल के स्तंभों एवं दीवारों पर वाद्ययंत्र टंगे होते हैं जिनका उपयोग संध्या को बचाने के लिए किया जाता है। सूरज ढलने के कुछ ही देर पश्चात् युवक–युवतियों धीरे–धीरे एकत्रित होने लगते हैं एवं कब उनका समूह गान प्रारंभ हो जाता है पता ही नहीं चलता। कई बार यह समूह में गाते हुए ही घोटुल तक पहुंचते हैं, धीरे–धीरे स्वरों की तान एवं वाद्य यंत्रों की थाप पर थिरकने लगते हैं। युवतियों का समूह अलग बनता है एवं युवाओं का अलग। एक दो गीतों के बाद यह समूहों में बातचीत करते एवं गांव की समस्याओं पर चर्चा करते दिखाई पड़ते हैं। समूह में गीत एवं नृत्य पुनः प्रारंभ हो जाता है घोटुल में युवक एवं युवतियों के साथ कुछ अधेड़ एवं वृद्ध लोग भी अवश्य आते हैं किंतु वे दूर बैठकर ही नृत्य इत्यादि देखने का आनंद लेते हैं। वे गीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेते इन्हें घोटुल का संरक्षक माना जा सकता है। कुछ स्थानों पर घोटुल के युवक ''चेलिक'' एवं युवतियां ''मोटियारी'' के नाम से पुकारे जाते है।

घोटुल में इसके सदस्य युवक–युवती आपसी मेल मिलाप एवं अपने से वरिष्ठ सदस्यों से जीवन उपयोगी शिक्षा, कृषि संबंधी जानकारी, नृत्य–गान के साथ ही साथ यौन शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। घोटुल आदिवासी समाज में जीवनसाथी चुनने का अवसर प्राप्त कराता है। घोटुल के विषय में यह आम धारणा प्रचलित है कि वह यौन शिक्षा एवं यौन अनुभव प्राप्त करने का केंद्र है किंतु वास्तविकता में घोटुल यौन अनुभव के अतिरिक्त भी अन्य सीख व जानकारी प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण संस्था है।

घोटुल में 16 वर्ष तक के युवक–युवती रह सकते हैं हालांकि उम्र का ऐसा कोई विशेष बंधन नहीं होता किंतु विवाह पश्चात् आमतौर पर युवक–युवती घर के कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते घोटुल नहीं आ पाते। घोटुल में युवक–युवतियों नाचते गाते हैं एवं किस्से कहानियां सुनते–सुनाते हैं जिससे लगातार एक–दूसरे के साथ रहने के कारण उन्हें एक दूसरे को समझने का अवसर प्राप्त होता है एवं वे यही विवाह सूत्र में बंध जाते हैं। युवक–युवतियों की इच्छा जानकर उनका विवाह सामाजिक रीति–रिवाजों के साथ कर दिया जाता है। घोटुल में रहते हुए यदि कोई युवती गर्भवती हो जाती है तो उससे उसके साथी का नाम पूछ कर उसका विवाह उससे कर दिया जाता है। छोटी आयु के लड़के लड़कियां घोटुल की साफ–सफाई के साथ लकड़ी बिन कर लाने, आग जलाने इत्यादि का काम भी करते हैं साथ ही अपने से बड़ों के क्रियाकलाप देख स्वयं भी वैसे ही बनते चले जाते है।

संध्या में बस्तर के किसी भी अंदरूनी ग्राम में समूह में युवक–युवतियों को गाते व नाचते देखा जा सकता है, हालांकि घोटुल जैसे झोपड़ी अधिकांश जगह नहीं होती। गांव के चौपाल या खुले क्षेत्र में ही यह युवक–युवतियां गाते,बजाते एवं नृत्य करते हैं। घोटुल का स्थान ग्रामों में बन रहे सामुदायिक भवन ले रहे हैं किंतु घोटुल की प्रथा समूह नृत्य एवं गान के माध्यम से आज भी पुराने दिनों की याद दिलाती.है।

बस्तर में सभ्यता के प्रकाश एवं बाहरी व्यक्तियों के आगमन से जहां ''घोटुल'' का स्वरूप बिगड़ा है वही यह महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था अंतिम सांसे गिन रही है। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में घोटुल आज भी अपने बदले हुए स्वरूप के साथ देखे जा सकते हैं। बाहरी लोगों के लगातार हस्तक्षेप फोटो खींचना, वीडियो फिल्म बनाना एवं प्रदर्शन ही इस घोटुल परंपरा के बंद होने का कारण बनता जा रहा है।

युवागृहों के विघटन का कारण

जनजातीय समुदायों में यद्यपि युवागृह एक महत्वपूर्ण संस्था रही है परंतु अब इस संस्था का धीरे–धीरे विघटन हो रहा है तथा वर्तमान में यह लुप्त होने के कगार पर खड़ा है, किंतु इसके अलावा भी युवागृहों के विघटन के कई अन्य कारण भी हैः

1. **नगरी सभ्यता का बढ़ता चलनः** आज पूरी जनजातीय संस्कृति संक्रमण के दौर से गुजर रही है तथा अधिकतर युवागृह विघटन के कगार पर खड़े हैं इसका प्रमुख कारण जनजातियों का बाह्य संस्कृति के संपर्क में आना तथा अपनी संस्कृति को पिछड़ा मान लेना भी है। आज जनजाति युवक शिक्षा ग्रहण करने अथवा

जीवन यापन की तलाश में नगरी संस्कृति के संपर्क में आकर युवागृह को गलत तरीके से देखने लगते हैं और युवागृहों में जाना बंद कर देते हैं। मजूमदार के मत के अनुसार मुरिया जनजाति में घोटुल के प्रमुख को चालान तथा उसके अधीन काम करने वाले दूसरे पदाधिकारियों को तहसीलदार, दीवान, सूबेदार आदि जैसे शब्दों से बुलाया जाने लगा। इन परिवर्तनों के साथ–साथ युवागृहों के पदाधिकारियों में नौकरशाही की मानसिकता जड़ पकड़ने लगी तथा उनमें अपने समुदाय की सेवा की भावना धीरे–धीरे खत्म होने लगी। नगरी संस्कृति में आने वाले कुछ युवक ऐसे भी हैं जो कभी–कभी युवागृह तो जाते हैं लेकिन वह इसकी सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते। स्वाभाविक है कि इस तरह के प्रभावों से युवागृहों का सांस्कृतिक स्वरूप खत्म होने लगा। नगरी संस्कृति से प्रभावित इन जनजातियों की मानसिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यदि उनसे अपने युवागृहों के बारे में पूछा जाता है तो वे इसे अपनी संस्कृति का अंग होने से साफ इंकार कर देते.हैं।

2. **पारिवारिक नियंत्रणः** जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी का प्रभाव पड़ा तो लाखों आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया। ईसाई मिशनरी जनजाति युवकों को इन युवागृहों में जाने से मना करने लगे क्योंकि वे इसे सभ्यता का प्रतीक मानते थे। अध्ययन में यह भी पता चलता है कि ईसाई धर्म अपनाने वाली जनजाति परिवारों में जब बच्चों पर माता–पिता का अंकुश बढ़ने लगा तो बच्चों को यह नियंत्रण बहुत अस्वाभाविक प्रतीत हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि जनजातियों में नई तथा पुरानी पीढ़ी के बीच तनाव बढ़ने लगे, इसके फलस्वरूप नई पीढ़ी में ऐसी अनुशासनहीनता पैदा हुई जो पहले कभी अनुभव नहीं की गई थी। जनजाति क्षेत्रों में इस स्थिति के परिणाम स्वरूप अनेक युवागृह खत्म हो गया।
3. **बाह्य समूहों का आगमनः** युवागृहों के विघटन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण बाह्य समूहों द्वारा इसका गलत लाभ उठाना भी रहा है। जब आर्थिक क्रियाओं एवं विकास के लिए शासकीय तथा गैर शासकीय लोगों का जनजाति क्षेत्रों में आगमन हुआ तो वे युवागृहों में मेहमानों के रूप में निवास करने लगी और अवसर मिलते ही जनजातीय बालाओं को अपनी यौनतृप्ता का शिकार बनाने लगे, परंतु जनजातियां कुछ लाभ की आशा और नुकसान के भय से इसका विरोध ना कर सकी और शनैः–शनैः उनमें यह भावना आ गई कि उनके शोषण और परेशानियों का कारण युवागृह ही है। ऐसी स्थिति में युवागृहों की सदस्यता कम होने लगे और युवागृह एक निष्क्रिय संस्था बन गई। आज भी प्रायः अधिकतर जनजातियों के सदस्यों द्वारा युवागृहों का विरोध किया जा रहा है और वे दिन दूर नहीं जब युवागृह मेहमानों का आशियाना बनकर रह जाएंगे।

निष्कर्ष

जो युवागृह कभी जनजातीय समाज की संस्कृति, शिक्षा, प्रशिक्षण, सुरक्षा, मनोरंजन, सामूहिक एकता एवं सहकारिता तथा आर्थिक सहयोग के केंद्र थे अब वे बाह्य संस्कृतियों एवं आधुनिकता के चलन के कारण अपना महत्व खोते जा रहे हैं और खत्म होते जा रहे हैं । आज आवश्यकता इस बात की है कि नवीन परिस्थितियों के संदर्भ में युवागृहों का नवीनीकरण एवं पुनर्मूल्यांकन किया जाये। युवागृह जनजातीय समाज के खत्म होने को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि इस ओर प्रयत्न नहीं किया गया तो कुछ समय बाद इनके अवशेष ही रह जाएंगे। अतः इसके नकारात्मक नहीं वरन् सकारात्मक पक्षों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. खरे, कल्पेश (2001) *जनजातीय भारत,* महावीर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंदौर (मप्र)
2. एल्विन, वेरियर (1992) *मुरिया एण्ड देयर घोटुल,* आक्सफोर्ड पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. गौड़, शरद चंद्र; गौड़, कविता (2010) *बस्तर एक खोज,* विश्व भारती प्रकाशन, नागपुर।
4. अहमद, एस. (2007) *छत्तीसगढ़ की जनजातियां बदलता परिदृश्य,* प्रखर पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
5. अलग, संजय (2011) *छत्तीसगढ़ की जनजातियां और जातियां,* मानसी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
6. त्रिपाठी, संजय; त्रिपाठी, चंदन (2019) *छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ,* उपकार प्रकाशन, आगरा।

****